न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 02/2016 (उदयपुर आर्डर)

देवीलाल डांगी पिता तुलसीराम जी डांगी, निवासी झामरकोटड़ा रोड़, सरकारी स्कूल के पास, मनवा खेड़ा, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. तुलसीराम डांगी पिता श्री नंगा जी डांगी, निवासी झामरकोटड़ा रोड़, सरकारी स्कूल के पास, मनवा खेड़ा, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती चुन्नीबाई धर्मपत्नी तुलसीराम जी डांगी, निवासी झामरकोटड़ा रोड़, सरकारी स्कूल के पास, मनवा खेड़ा, उदयपुर (राज.)
3. यशवन्त पिता तुलसीराम जी डांगी, निवासी झामरकोटड़ा रोड़, सरकारी स्कूल के पास, मनवा खेड़ा, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती पुष्पा पुत्री तुलसीराम जी, धर्मपत्नी रूपलाल जी डांगी, निवासी ललित एलेक्ट्रिकल्स, जीबीएस टुल्स के पास, भुवाणा मेन रोड़, उदयपुर।
5. श्रीमती बदाम पुत्री तुलसीराम जी, धर्मपत्नी लोगरलाल जी डांगी, निवासी झलार घाटी, बर्फ फैक्ट्री के पास, कानपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. बाबूलाल मोटावत पिता स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी मोटावत, निवासी 5, शान्तिवन, बेदला रोड़, उदयपुर (राज.)
7. अभय सिंघवी पिता श्री मनमोहन राज सिंघवी, निवासी 222/17, सहेली मार्ग, उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती उर्वशी सिंघवी पत्नी श्री अभय सिंघवी, निवासी 222/17, सहेली मार्ग, उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
30–11–2015 प्र0 सं0 211/2012

———/———

उपस्थित :– 1– श्री चांदमल सांखला अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

3– श्री ओंकारलाल डांगी अभि. रे. सं. 1 से 5

———::———

निर्णय **दिनांक 28–11–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मनवाखेड़ा की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजियात विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है, जिसमें विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थी/अपीलान्ट विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का पुत्र है। विवादित आराजियात मौरूसी होकर मूल पुरूष रता जी थी, जिनके 2 पुत्र नन्दा व कुका हुए। तुलसीराम नन्दा जी का पुत्र है। विवादित भूमियां नन्दा जी की मृत्यु पर विपक्षी संख्या 1 तुलसीराम के नाम दर्ज हो गयी, जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी का भी हक अधिकार होकर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। विपक्षी संख्या 1 के मन में बद्नियती आ जाने से कतिपय भूमियों का विक्रय विपक्षी संख्या 6, 7 व 8 को कर दिया गया है। अतएवं इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे तथा भूमियों का विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 6, 7, 8 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दिनांक 14–04–1988 से प्रार्थी की जानकारी में है तथा हम विपक्षी संख्य 6, 7 व 8 को विक्रय करने की दिनांक 06–06–2012 से हमारा कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी इस भूमियों पर काबिज नहीं है। प्रार्थी होटल चलाकर अपनी पत्नी व बच्चों का भरण–पोषण करता है। उत्तरदाता सद्भावी क्रेता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2, 3 की ओर से भी खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमियों का विक्रय विधिवत किया गया है। प्रार्थी होटल का व्यवसाय चलाता है तथा उसने स्वयं शामिल होकर उक्त विक्रय करवाया गया है।

विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के खण्डन का जवाबुल जवाब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कोई व्यवसाय नहीं करता है तथा कोई होटल नहीं चलाता है तथा आराजियात के विक्रय बाबत् उसने कोई सहमति नहीं दी है। विपक्षी संख्या 6, 7, 8 के खण्डन जवाब का जवाबुल जवाब भी इसी आशय का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 30–11–2015 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02–22–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 तहसीलदार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। बहस सुनने के बाद दिनांक 22–11–2018 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी ने आवेदन पेश कर अपना पक्ष रखा।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण ने भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की माना है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसे नहीं मानकर तथा अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है, जबकि भूमियां संयुक्त हिन्दू परिवार की होने से प्रत्येक ईन्च भूमि पर सभी का कब्जा माना जाता है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो प्रकट आया कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थी को प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित कराने के लिए उसकी प्लीडिंग्स के आधार पर भूमि को मौरूसी होना साबित कराना था। प्रकरण में विवादित भूमियां मौरूसी होने के लिए अपने दादा नन्दा जी के पिता रता जी से प्राप्त होना साबित कराना था, जिसके लिए उसके द्वारा बहस तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। बहस सुनने के बाद दिनांक 27–11–2018 को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27–11–2018 को जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त राज्य मेवाड़ संवत्

1987 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की, जिससे आराजी नंबर 130, 132, 135/1, 181, 264, 265, 777 व 786 रता वल्द तेजा डांगी के नाम होना प्रकट है। रता के खाते की उपरोक्त जमाबन्दी संवत् 1987 की आराजियात व हाल आराजियात समान होने बाबत् कोई मिलान क्षेत्रफल अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि विवादित आराजियात ही अपीलान्ट द्वारा बाद बहस पेश की गयी रता की खातेदारी में तत्समय दर्ज हो। अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी जमाबन्दी संवत् 1987 से विवादित आराजियात रता के समय की होना इस स्तर पर मिलान क्षेत्रफल के अभाव में नहीं होता है। प्रकरण में जब भूमियां रता जी के समय की होना प्रमाणित नहीं हैं तो हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 अनुसार अपीलान्ट देवीलाल का उसमें कोई हक नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट द्वारा जो साक्ष्य अधिकतम प्रस्तुत की गयी है उसमें भूमियां नन्दा जी के समय से चली आना प्रकट होता है, तद्नुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार नन्दा के पुत्र तुलसीराम के जीवनकाल में उसके पुत्र देवीलाल का कोई हिस्सा नहीं बनता है। उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया स्वत्व प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है तथा कब्जे की भी कोई साक्ष्य हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार कब्जा भी इस स्तर पर अपीलान्ट/प्रार्थी का नहीं माना जा सकता। तद्नुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में नहीं माने जा सकते तथा इसी अनुक्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–11–2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर